न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-284RAAJodhpur2022-172RTA225 Tajaram Vs Mangilal etc

ताजाराम पुत्र केसुराम जाति जाट, निवासी- ग्राम हरिओम नगर एकलखोरी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. मांगीलाल पुत्र केसुराम
02. अलसीराम पुत्र केसुराम
    जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम हरिओम नगर, एकलखोरी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 14 जून 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 99/2018 मांगीलाल व अन्य बनाम ताजाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलांट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 14 सितंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 99/2018 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम ताजाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य

14.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 01 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 580 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 2466 रकबा 11.02 बीघा, खसरा नं. 2495/3 रकबा 16.04 बीघा, खसरा नं. 2470/7 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 2470/5 रकबा 11 बिस्वा ग्राम हरिओम नगर एवं खसरा नं. 665 रकबा 02.17 बीघा के संबंध धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.06.2018 जारी की गई। जो पक्षकारान् की सुनवाई बाद आदेश दिनांक 14 जून 2022 के जरिये संशोधित की गयी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल कारित की गई है। रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाडा का वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर अधिकार होता है। रेस्पोडेंट प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 के जरिये अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उसके द्वारा अप्रार्थीनी श्रीमती धापूदेवी की कायम मुकाम कार्यवाही किये बिना तथा अपने द्वारा प्राप्त वांछित अनुतोष में संशोधन कर विद्युत कनेक्शन एवं टांका निर्माण की छूट चाही हैं। इसलिए दोनो अनुतोष कानूनन एक साथ देय नहीं है।

14.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 जून 2022 को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। कानूनन सहखातेदारी की भूमि में सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा ही वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष चाहा है तथा अपनी इस्तदुआ के विपरीत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा में टांका निर्माण एवं विद्युत कनेक्शन की छूट चाही है जो परस्पर विरोधाभासी इस्तदुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट संख्या एक को विशेष भू-भाग पर निर्माण की छूट प्रदान की है, जिसे प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इसलिए

14.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले के अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप सें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 99/2018 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम ताजाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 जून 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त समय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर